

Online



निष्पादित

अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।
आदेश फलक

धारा-144 दंप्रंसं०

वाद संख्या 189/2022

देवनारायण मुर्ली

- बनाम -

शुभु लाल सहनी

29.12.2022 चूंकि आवेदक के आवेदन/थाना द्वारा प्राप्त अप्राथमिकी संख्या 189/2022 दिनांक 16.01.2023 के अवलोकन से मैं संतुष्ट हूँ कि प्रथम पक्ष ① देवनारायण मुर्ली

पक्ष ① शुभु लाल सहनी

16-01-2023

25-01-2023

08-02-23

15-02-23

20-02-2023

24-02-23

25-02-23

27-02-23

नीचे वर्णित अनुसूची विवादग्रस्त भूमि आदि के दखल को लेकर शान्ति भंग हाने की प्रबल सम्भावना है और इसकी रोकथाम तत्काल आवश्यक है। आवेदक के आवेदन से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। विधि-व्यवस्था को बनाये रखने हेतु दंप्रंसं० की धारा-144 के तहत कार्रवाई आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिए मैं धारा-144 दंप्रंसं० के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उभय पक्षों को विवादग्रस्त भूमि में जाने से और वहाँ किसी प्रकार का विघ्न डालने से सख्त निषेध करता हूँ। निर्देश दिया जाता है कारण-पृच्छा न्यायालय में दिनांक 08.01.2023 तक दाखिल करें।

भूमि का विवरण

नौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	चौहदी
------	----------	----------	-----------	------	-------

काई नं०-15
नगा (पारिवार)
चक्रधरपुर

117

212

02 FIX

पूर्व - Himmat Lal

पश्चिम - O.P.

उत्तर - Bhandu Khayka

दक्षिण - Sellar Hiz

29/12/22

अनुमण्डल पदाधिकारी,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

29/12/22

06.01.2023 आभिकर्षक उपस्मारपत्र। लक्ष्मण चार एलीगिण्डर
चक्रवातुं द्वारा लिखित आवेदन पत्र डा. २।
द्वारा दिनांक ३१.१२.२०२२ को प्राप्त
करने हेतु आभिकर्षक के लक्ष्मण आभिकर्षक को
अनुपस्थित करके कोर्ट वा कोर्टपत्र करने
वा पुनर्जा ही गई है। आभिकर्षक दिनांक १६.०१.२०२३
की उपस्मारपत्र कर।

16.01.2023 आभिकर्षक उपस्मारपत्र। प्रथम पक्ष अनुपस्थित है।
पीठाधीन पदां अन्य शर्तों में बरत है।
आभिकर्षक दिनांक २५.०१.२०२३ की उपस्मारपत्र
कर।

25.01.2023 आभिकर्षक उपस्मारपत्र। प्रथम पक्ष के कोर्ट
आभिकर्षक द्वारा कोर्ट की गई। नोटिस पत्र
अनुपस्थित। पीठाधीन पदां अन्य शर्तों में बरत
है। आभिकर्षक दिनांक ०८.०२.२०२३ की उपस्मारपत्र
कर।

08.02.2023 आभिकर्षक उपस्मारपत्र। प्रथम पक्ष के लक्ष्मण ①
① देवनारायण मुर्खी उपस्थित। नोटिस पत्र
के लक्ष्मण अनुपस्थित। पीठाधीन पदां अन्य शर्तों में
बरत है। आभिकर्षक दिनांक १५.०२.२०२३ की उपस्मारपत्र
कर।

15.02.2023 ~~आमिर्कस उपस्थित। प्रथम पक्ष के सदस्य~~
~~देवनायक मुक्ति उपस्थित। रिटार्ग~~
~~पक्ष अनुपस्थित।~~

2nd party to appear on
next date. Show cause
Report to be filed
within on the next date. 20/02/23

(P)
15/02/23

20.02.2023 ~~आमिर्कस उपस्थित। प्रथम पक्ष के सदस्य~~
~~देवनायक मुक्ति उपस्थित। रिटार्ग पक्ष~~
~~के सदस्य अनुपस्थित। करीब आधिकारिक रिपोर्ट~~
~~प्रशासन द्वारा लिखित निकाय ही नहीं है। इन्होंने सभी~~
~~आधिकारिक अनुसंधान या बहुरी बालिका द्वारा~~
~~रिपोर्ट नहीं है। आमिर्कस रिपोर्ट 24.02.2023 के~~
~~उपस्थित करें।~~

24.02.2023 आमिर्कस उपस्थित। उभय पक्ष अनुपस्थित।
पीठाधीन पक्षों द्वारा काम कार्य में बाध है। आमिर्कस
रिपोर्ट 25.02.2023 के उपस्थित करें।

25-02-2022 आभिलषित उपलब्धतापत्र। - उभय पक्ष अनुपस्थित।
पीठाधीन पदां अन्य कार्य में व्यस्त हैं। आभिलषित
दिनांक 27-02-2023 री उपलब्धतापत्र रहे।

27-02-2023 आभिलषित उपलब्धतापत्र।

The case is dropped as
over statutory time limit of 60 days
@
27/2/23